राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/ 1198 दिनांक– 07/02/2018

## कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अनिल कुमार सिंधी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, सिरोही से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सिंधी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री सिंधी को निदेशालय की वेवसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री सिंधी तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 07.02.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सिंधी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री सिंधी को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण** 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

कमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/ 1198 दिनांक– 07/02/2018

**प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–**

1. कोषाधिकारी, सिरोही को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही।
3. श्री अनिल कुमार सिंधी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय– कोषाधिकारी, सिरोही।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)